आदेश	कार्यवाही विवरण
18.08.22	पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वकील वादी को बार-बार रुक-रुक कर न्यायालय समय तक आवाज लगवाई गई, परन्तु इनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से स्पष्ट है कि वादी को अपने वाद में रुचि नहीं है फलस्वरूप वाद वादी अदम पैरवी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली पेश होने तुमार होकर दर्ज नम्बर से कम है तथा वाद एकमील साहा दाखिल दफ्तर है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:28:31 IST
Reason: SelfAttested